अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

मो0 शकील अंसारी
बनाम
गौरी शंकर साबु

आदेश फलक तारीख............से...............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **75/2022–23**

वाद का प्रकार :– ईविक्शन अपील (Eviction Appeal)

अपीलार्थी मो0 शकील अंसारी पिता–मो0 अमीन अंसारी ग्राम–खड़ियापाड़ा थाना–गुमला जिला– गुमला के द्वारा Eviction suit no. 117/2022 में अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पारित आदेश, से विक्षुब्ध होकर U/S-36 Jharkhand Building (Lease Rent & Eviction) Control Act 2011 के प्रावधानों के तहत् अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में सुलहनामा आवेदन समर्पित किया गया है जिसमे उल्लिखित किया गया है कि दानों पक्ष आपस में आपस में किराया संबंधी विवाद को निपटारा कर लिये हैं तथा निम्न न्यायालय के Eviction वाद संख्या 117/22 में पारित आदेश के मुताबिक अपीलार्थी प्रष्नगत मौजा–लोहरदगा रोड़ गुमला अवस्थित खाता नं0–376 प्लॉट नं0–530 रकबा 0.31 एकड़ में अवस्थित प्रश्नगत दुकान 26 फीट ग 12फीट को स्वेच्छा से खाली कर उत्तरवादी को सुपुर्द कर रहें हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच बकाया किराया का लेन देन का भी विवाद समाप्त हो चुका है। सुलहनामा आवेदन के आधार पर अपीलवाद को निपटारा करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उभय पक्षों द्वारा समर्पित सुलहनामा आवेदन के आलोक में अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला को आदेशित किया जाता है कि सुलहनामा आवेदन के आलोक में अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी,/अंचल अधिकारी गुमला को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

11.12.22
उपायुक्त,
गुमला

11.12.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.27 12:02:24 +05:30
Location: 192.168.5.105

Scanned with OKEN Scanner